Title: Regarding counting of SC&ST persons for the Census Report in Delhi.

श्री ्सालखन मुर्मू (म्यूरभंज) : अध्यक्ष महोद्य, मैं आपके माध्यम ्से ्सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं कि दिल्ली प्रद्ेश में द्ेश के व्िभिन्न प्रद्ेशों ्से आ्ये हुए जो आद्िवा्सी हैं, एस.्सी.एस.टी. हैं, उनको दिल्ली प्रद्ेश की तरफ ्से कोई ्भी ्सुविधा नहीं दी जाती। एस.टी,. के ्रूप में उनको जो ्सुविधा्यें मिलनी चाहिए, दिल्ली प्रद्ेश में ्ये ्सुविधा्यें ब्िल्कुल नहीं मिलती। अ्ब दू्सरा ्ड्यंत्र होने ्वाला है और जो मुझे जानकारी मिली है कि जो जनगणना होने ्वाली है, उ्सकी त्ैयारी चल रही है और जो इन्युमिरेट्र्स हैं, उनको ट्रेनिंग के दौरान ्बता्या जा रहा है कि जो एस.्सी.एस.टी. के कॉलम्स ्बनते हैं और दिल्ली में ्ब्सने ्वाले जो आद्िवा्सी हैं,एस.टी. हैं, उनको एस.टी. कॉलम में न रखा जा्ये, एनी-अदर में रखा जा्ये ताकि दिल्ली में जो जनगणना होगी, उ्समें आद्िवा्सि्यों की ्संख्या न दिखा्यी जा्ये, ्यह गं्भीर मामला है। एस.एस.एस.टी. के अधिकार का मामला है, ्संवैधानिक अधिकार का मामला है। दिल्ली में व्िभिन्न राज्यों ्से आ्ये हुए आद्िवा्सी ्भाइ्यों को कोई ्सु ्विधा नहीं मिलती है और ्यदि अ्भी ऐ्से ्ड्यंत्र के तहत आद्िवा्सि्यों की ्संख्या नगण्य दिखा्यी जाएगी तो ्यह आपत्तिजनक ्बात है।